श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
राजस्थान का उद्‌बोधन

भारतीय संविधान दिवस पर वेबिनार

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 **समय दोपहरः 12 .00 बजे**

स्थान : राजभवन, जयपुर

आज के इस समारोह में उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, जोधपुर श्री विनित कुमार जी, उच्च न्यायालय के अभिवक्ता श्री कुलदीप माथुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ओम थानवी तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देवस्वरूप तथा अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, इस वेबिनार में सम्मिलित शिक्षाविद् प्रतिभागी और मीडिया के साथियों।

भारतीय संविधान दिवस पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

आज के इस दिन को मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं। आज ही का दिन था, जब 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा में देश के संविधान बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा महान संविधान प्रभावी हुआ।

संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है। इस बात को गहराई से समझे जाने की जरूरत है कि यह नियम–कानूनों का दस्तावेज भर नहीं है बल्कि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं यह भी मानता हूं कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना (Preamble) किसी संविधान की मानी गयी है तो वह हमारे देश की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। इसीलिए हमारे संविधान का प्रारम्भ ही **'हम भारत के लोग'** शब्दों से होता है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देशिका के 'हम भारत के लोग' शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है।

संविधान में आया 'हम भारत के लोग' केवल शब्द भर नहीं हैं। यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है।

भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता की स्थापना और सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए भी हमारा संविधान विश्वभर में अपनी अलग पहचान रखता है।

मैं यह भी मानता हूं कि भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है।

जब–जब भारतीय संविधान के बारे में सोचता हूं, मुझे विश्व कवि गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगौर की कविता की यह पंक्तियां विशेष रूप से याद आती हैं –

'जहां चित्त भय से शून्य हो
जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें
जहां ज्ञान मुक्त हो...
जहां विचारों की सरिता
तुच्छ आचारों की मरू भूमि में न खोती हो।...'

गुरूदेव की यह कविता पंक्तियां प्रेरणा देने वाली हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी इस कविता से गहराई से समझा जा सकता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते नागरिकों को उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार हैं तो कर्तव्य भी है। भारतीय संस्कृति में अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन से ही मानवीय गरिमा को स्थापित किए जाने पर सदा जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि **'कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है।'**

भारतीय संविधान को भी इसी दृष्टि से देखें और समझे जाने की जरूर है। बहुत बार मैं यह पाता हूं कि संविधान में दिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक होते हैं परन्तु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं। यह ठीक है कि अपने अधिकारों और हितों के लिए हम लड़ें और आंदोलन करें परन्तु अधिकारों को अराजकता में न बदले, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत

है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है परन्तु इसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की जान–माल की हानि करना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।

लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान की उद्देशिका इसे सुनिश्चित करती है परन्तु यह हस्तक्षेप जन–धन की हानि, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए।

संविधान आजादी की मर्यादा है। इसलिए यह जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ हम राग–द्वेश एवं भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं को सम्मान दें।

संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें, नियम–कानूनों की पालना करें। सर्वधर्म, सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्पराओं को

समृद्ध करें। देश में समतामूलक समाज की स्थापना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। संविधान इसी के लिए हमें सदा प्रेरित करता है।

भारतीय संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का मानवीय दस्तावेज ही नहीं है बल्कि बेहद कलात्मक रूप लिए है। मैंने भारतीय संविधान की मूल प्रति का अवलोकन किया है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय संविधान अपने संवैधानिक प्रावधानों, मानव अधिकारों और कर्तव्यों के आलोक के साथ सुंदर कलाकृति रूप में सृजित किया गया है।

संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चित्रकृतियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप भी अंकित है, जो मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम और कर्म का संदेश देते हुए भगवान श्रीकृष्ण का भी स्वरूप है। शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए गए हैं जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि–मुनियों के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गये हैं।

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के दिशा निर्देशन में जो संविधान तैयार हुआ उसमें यह तय किया गया था कि वह ऐसा बने कि भारतीय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उसमें दर्शन हो।

देश के प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने इसीलिए धर्म विशेष नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रति में बनाए। संविधान में राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया है तो हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े, शेर, हाथी की सुनहरी सज्जा की गयी। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया।

मैं आप सभी से यह बात भी आज के दिन विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि नंदलाल बोस के एक शिष्य राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकार कृपालसिंह शेखावत रहे हैं। उन्होंने भी संविधान में अपनी कला का अलंकरण किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि मूल संविधान की बनी प्रति में कृपालसिंह जी के जरिए राजस्थान की कला–भूमि का भी योगदान रहा है।

संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। रायजादा ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है।

भारतीय संविधान को मैं लोकतंत्र संचालन का लिखित कानून ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का गौरव ग्रंथ मानता हूं। इसीलिए आप सभी से आज संविधान दिवस पर संविधान से जुड़े बहुत सारे संदर्भ मुझे स्मरण हो आए हैं।

'वसुधैव कुटुम्बकम' की भारतीय अवधारणा पूरे विश्व को अपना परिवार मानने में विश्वास करती है। भारतीय संविधान अनेकता में एकता और सर्वधर्म सद्भाव, समानता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है।

आईए, आज के दिन हम हमारे महान संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माताओं को नमन करते हुए यह संकल्प लें कि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखते हुए हम देश की एकता और अखण्डता के लिए कार्य करेंगे।

संविधान की मर्यादा की पालना करते हुए आईए हम अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध होकर कार्य करें।

संविधान दिवस की पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।

जय भारत। जय हिन्द।